

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

क्रमांक/रीडर/2024/705

दिनांक 04/9/2024

तहसीलदार (राजस्व)
रावतसर।

विषय :-प्रकरण संख्या 389/2022 अनुवानी चन्द्रभान दतक पुत्र पीथाराम
बनाम स्टेट अन्तर्गत धारा 15 एएए में निर्णय दिनांक 04/9/24 का
अमल करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनवानी प्रकरण में निर्णय दिनांक 04/9/24
..... के द्वारा लालपुरा के खाता संख्या नया 224 पुराना 203 के पत्थर नम्बर 239/438
(247) किला नम्बर 16, 25 की 0.481 है., पत्थर नम्बर 239/439 (268) किला नम्बर 5
की 0.253 है., पत्थर नम्बर 240/438 (248) किला नम्बर 16 ता 25 की 2.405 है., पत्थर
नम्बर 240/439(267) किला नम्बर 1 ता 5 की 1.265 है., पत्थर नम्बर 240/446 (421)
किला नम्बर 11 ता 20 की 2.530 है., पत्थर नम्बर 241/438(249) किला नम्बर 20,
21/1 की 0.480 है., पत्थर नम्बर 241/439(266) किला नम्बर 1 की 0.253 है., पत्थर
नम्बर 241/446(422) किला नम्बर 11/1 की 0.227 है. कुल 7.8940 है. बारानी भूमि का
वादी चन्द्रभान दतक पुत्र पीथाराम को निःशुल्क खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाती
है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। यदि उक्त भूमि का पूर्व में
आरटीएक्ट की धारा 15 एएए के अन्तर्गत किसी न्यायालय से कीमतन आवंटन किया
जाकर निर्णय हो चुका है तो पूर्व निर्णय ही मान्य होगा तथा देय किरते वसूल होगी। यह
आदेश निम्न परिस्थितियों में स्वतः ही निरस्त समझें जावेंगे कि यदि प्रश्नगत रकबा :-
1. किसी राशि/प्रभार के बकाया होने पर। 2. सीलिंग सीमा से प्रभावित होने पर। 3. विशेष आवंटन
सूची में अधिसूचित होने पर। 4. न्यायिक विवाद/स्थगन होने पर। 5. सार्वजनिक कार्य/आबादी हेतु
आरक्षित होने पर। 6. वारीसान के कब्जा काश्त नहीं होने पर। 7. आरटीएक्ट की धारा 16 से प्रभावित
होने पर। 9. रकबा घग्घर फलड व जोहडपायतन या वन विभाग का होने पर।

क्रमांक/सम/706-708

प्रतिलिपि- निम्न को सुचनार्थ/पालनार्थ

1. तहसीलदार राजस्व लेखागार तहसील कार्यालय रावतसर को पालनार्थ।
2. वादी चन्द्रभान दतक पुत्र पीथाराम।
3. रक्षित पत्रावली।

01C
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर
दिनांक- 04/9/2024

01C
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर
दिनांक- 04/9/2024

